न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ. (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अनुपमा जोरवाल I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	जी.सी.एम.एस	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
11/2015	2015/00009	06.11.2015	26.03.2021

श्री सरकार जरिये तहसीलदार छोटीसादड़ी

– प्रार्थी

–: बनाम :–

श्री शान्तिलाल पिता लक्ष्मण जी धाकड़ निवासी हड़मतिया जागीर तहसील छोटीसादड़ी

– विपक्षी

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 ले. रे. एक्ट विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी छोटीसादड़ी प्र. सं. 3/13 बउनवान सरकार बनाम शांतिलाल एवं अन्य निर्णय दिनांक 16.01.2013 एवं दिनांक 16.01.2013

उपस्थिति :–
1. श्री पैरोकार सरकार राजस्व
2. श्री अजय कुमार पिछोलिया अधिवक्ता

–: आदेश :–

दिनांक :– 26.03.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार छोटीसादडी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम हडमतिया जागीर पटवार हल्का हडमतिया जागीर तहसील छोटीसादडी की बिलानाम बंजड आराजी संख्या 700 रकबा 0.95 है. में से 0.43 है. भूमि के आवंटन हेतु विपक्षीगण द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 कैम्प बम्बोरी दिनांक 16.01.2013 को शिविर प्रभारी अधिकारी एवं आवंटन प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त आवेदन प्रकरण मिशल संख्या 03/2013 से दर्ज रिकार्ड हो आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष विचाराधीन वक्त कार्यवाही मजमे आम संज्ञान में आया कि आवेदक द्वारा उक्त भूमि पर खडे हरे वृक्षों किता 84 की कटाई एवं सरकारी सम्पति को नुकसान पहुंचाए जाने से आवेदक विपक्षीगण के विरूद्ध ACJM न्यायालय छोटीसादडी में एक फौजदारी प्रकरण विचाराधीन है। जिसके आधार पर अध्यक्ष आवंटन सलाहकार समिति उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी द्वारा आवदेक के भूमि

जिला कलक्टर

Scanned with CamScanner

आवंटन प्रार्थना पत्र को मजमे आम सहमति से खारीज कर दिया जिससे व्याथित होकर अवदेक/विपक्षीगण द्वारा एक अपील विरूद्ध आदेश बनाराजगी प्रकरण संख्या 03/2013 निर्णय दिनांक 16.01.2013 के जिला कलक्टर प्रतापगढ़ के समक्ष अन्तर्गत नियम 14(4) भू–राजस्व आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत की गई। उक्त प्रकरण में न्यायालय जिला कलक्टर प्रतापगढ़ द्वारा जरिये प्रकरण संख्या 03/2013 निर्णय दिनांक 18.11.2013 को प्रकरण में वर्णित विवाद्यकों की अनुसरण में निर्णित करते हुए अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण में विहित विवाद्यकों के समुचित स्थिरीकरण एवं निराकरण हेतु आवंटन प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी को प्रार्थी आवेदक की युक्ति–युक्त सुनवाई एवं प्रार्थी/आवेदक के विरूद्ध विचाराधीन फौजदारी प्रकरण माननीय न्यायालय ACJM छोटीसादडी के निर्णय की अनुसरण में पुनर्विचार करते हुए निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित की गई।

किन्तु प्रार्थी/आवेदक के विरूद्ध माननीय ACJM न्यायालय छोटीसादडी में विचाराधीन प्रकरण संख्या 168/2012 अन्तर्गत धारा 447, 427 IPC अन्तर्गत " मेगा लोक अदालत" कैम्प ACJM न्यायालय छोटीसादडी दिनांक 12.04.2014 को आवेदक/आवंटी श्री शान्ति लाल पुत्र लक्ष्मण जी धाकड द्वारा लोक अदालत भावना से स्वैच्छिक जुर्म स्वीकार करते हुए प्रकरण का निस्तारण चाहा गया।

उक्त कम में माननीय न्यायालय ACJM छोटीसादडी द्वारा प्रकरण के अभियुक्तगण आवंटी व अन्य के विरूद्ध IPC की धारा 447, 427 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप हेतु सिद्ध दोष करार दिये जाने पर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(1) के तहत अभियुक्तगण को पांच–पांच हजार जमानत मुचलके एवं एक वर्ष की अवधि तक परिशांति कायम रखने सदाचारी बना रहने की शर्त एवं प्रत्येक अभियुक्त परिवीक्षा–अधिनियम की धारा 5 के तहत 300–3000 बतौर अभियोजन व्यय शास्ति न्यायालय में जमा कराने की शर्त के साथ " लोक अदालत" भावना से विपक्षी/आवेदक की प्रकरण निस्तारित किया गया।

उक्त आदेशानुसार आवेदक/विपक्षी द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर प्रतापगढ़ से निर्णित प्रकरण संख्या 03/2013 निर्णय दिनांक 18.11.2013 की अनुकम में विपक्षी के विरूद्ध ACJM न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण समाप्त होने का आधार बनाते हुए उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी के समक्ष आवंटन मिशल संख्या 03/13 निर्णय दिनांक 16.01.2013 पर पुनर्विचार कर आवंटन बहाल कराने की नियत से प्रस्तुत किया जिसे उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी द्वारा बिना किसी युक्ति–युक्त कार्यवाही के सीधे पटवार हल्का हडमतिया जागीर को दस्ती तहरीर आदेश दिनांक 10.06.2014 तहसीलदार छोटीसादडी के पत्र कमांक 06.06.2014 तहसीलदार छोटीसादडी के पत्र कमांक 06.06.2014 एवं न्यायालय जिला कलक्टर प्रतापगढ़ से पारित निर्णय दिनांक 18.11.2013 एवं ACJM न्यायालय छोटीसादडी से पारित निर्णय दिनांक 12.04.2014 की अनुपालना में विवादित आवंटन में प्रस्तावित भूमि आराजी संख्या 700 रकबा 0.95 है. में से 0.43 है. भूमि पर आवेदक/विपक्षी का कब्जे में होने आधार पर नियमानुसार नामान्तरकरण कार्यवाही बाबत् आवंटन विपक्षी के पक्ष में जारी करने का आदेश प्रदान किया गया।

जिसके आधार पर पटवार हल्का हडमतिया जागीर द्वारा निष्पादित नामान्तरकरण संख्या 593 दिनांक 10.06.2014 तस्दीक भू.अ.नि. वृत जलोदा जागीर दिनांक 24.06.2014 स्वीकृत तहसीलदार छोटीसादडी दिनांक 07.07.2014 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में विपक्षी/आवेदक को युक्ति–युक्त आवंटन का पात्र मानते हुए आराजी संख्या 700 रकबा 0.95 है. में से 0.43 है. की गैर खातेदारी दर्ज कर दी गई जिसके संबंध में प्रार्थी श्री शिवेन्द्र सिंह एवं उदयलाल द्वारा जिला कलक्टर प्रतापगढ़ के

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

समक्ष प्रस्तुत आवेदन दिनांक 16.03.2015 के क्रम में जिला कलक्टर प्रतापगढ़ के निर्देशानुसार कार्यालय से जारी पत्र कमांक सरिश्ता/रीडर/2015/5020 दिनांक 25.03.2015 उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी को प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र सहित वास्ते जांच प्रेषित किया गया।

उक्त क्रम में उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन कमांक सरिश्ता/2015/2009 दिनांक 24.07.2015 के अनुसार उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी द्वारा पटवार हल्का हडमतिया जागीर को जारी दस्ती तहरीर आदेश दिनांक 10.06.2014 को विधि विरूद्ध परिभाषित करते हुए नामान्तरकरण आदेश को विधि के विरूद्ध बताते हुए जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रतिवेदन रिपोर्ट आधार पर कार्यालय जिला कलक्टर प्रतापगढ़ के पत्र कमांक : राजस्व/भू.रू./2015/1853 दिनांक 16.08.2015 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी को रिपोर्ट प्रतिवेदन दिनांक 24.07.2014 एवं 25.03.2015 के अनुसार तहसीलदार छोटीसादडी स्तर से रेफरेन्स कार्यवाही बाबत् विधि विरूद्ध गैर खातेदारी नामान्तरकरण हेतु प्रेषित किया गया जिसके संबंध में उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी द्वारा तहसीलदार छोटीसादडी को जारी निर्देश पत्र कमांक : राजस्व/भू.रू./2015/3084 दिनांक 18.08.2015 एवं प्रेषित प्रेतिवेदन रिपोर्ट जिला कलक्टर प्रतापगढ़ कमांक 3083 दिनांक 18.08.2015 के अनुक्रम में तहसीलदार छोटीसादडी द्वारा जरिये पत्र कमांक : राजस्व/2015/327 दिनांक 08.10.2015 रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गए जिनकी बाद तामील रिपोर्ट विपक्षीगण की ओर से अधिवक्त श्री अजय कुमार पिछोलिया उपस्थित हो प्रकरण में जवाब "रेफरेन्स"प्रार्थना पत्र दिनांक 04.03.2016 को प्रस्तुत किया गया जो शामील पत्रावली है।

इसी क्रम में प्रार्थी श्री केशर सिंह पुत्र मानसिंह राजपुत निवासी सेमारी होल हडमतिया जागीर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 दीवानी प्रकिया संहिता 1908 के तहत जरिये अधिवक्ता श्री केशर सिंह बाठी के प्रस्तुत किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के विरोध में विपक्षी अधिवक्ता श्री अजय कुमार पिछोलिया द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 CPC 1908 दिनांक 18.04.2016 प्रस्तुत किया गया जिस पर बहस अन्तिम उभयपक्ष प्रार्थना पत्र 0 1 R (10) CPC दिनांक 16.01.2017 के अनुसार प्रकरण आदेशिका दिनांक 16.01.2017 के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 01R 10 CPC खारीज किया गया तथा पत्रावली वास्ते मूल प्रार्थना पत्र "रेफरेन्स" बहस अन्तिम हेतु आगामी तारीख पेशी नियत की गई।

प्रकरण में बहस अन्तिम उभयपक्ष दिनांक 22.02.2021 को सुनी गई दौराने बहस उपस्थित पैरोकार सरकार राजस्व अधिवक्ता श्री प्रवीण जैन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों एवं रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा जवाब विपक्षी का खण्डन करते हुए मुख्य रूप से निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी द्वारा दिनांक 10.06.2014 को पटवार हल्का हडमतिया जागीर को जारी दस्ती आदेश बाबत् नामान्तरकरण कार्यवाही आवंटन मिशल संख्या 03/13 अनुसार विपक्षीगण के नाम प्रस्तावित भूमि की गैर खातेदारी आवंटन प्राधिकार से दर्ज कराया जाना विधि विरूद्ध होने की पुष्टि उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी के प्रतिवेदन कमांक 2009 दिनांक 24.07.2015 एवं प्रतिवेदन कमांक 3083–84 दिनांक 18.08.2015 से होती है।

जिला कलक्टर

Scanned with CamScanner

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत संधारण योग्य होने से स्वीकार फरमाया जाना उचित रहेगा।

इसी प्रकम में उपस्थित अधिवक्ता विपक्षीगण (श्री अजय कुमार पिछोलिया) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मेमो दिनांक 08.10.15 का खण्डन करते हुए तथा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 04.03.2016 में वर्णित कथनो एवं विशेष कथनों की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए निवेदन किया कि विपक्षी के पक्ष में संधारित आवंटन मिशल संख्या 03/2013 अन्तर्गत आवंटन सलाहकार समिति की राय एवं अन्य कार्यवाही पूर्ण हो चुकी थी तथा मात्र मौखिक शिकायत के अनुसार विपक्षी के विरूद्ध संचालित प्रकरण संख्या 168/2012 के आधार पर विपक्षी/आवेदक का आवेदन निराधार बिन्दुओं पर खारीज किया जाने की स्थिति में विपक्षीगण/आवेदक द्वारा माननीय विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित आदेश दिनांक 16.01.2013 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत नियम 14(4) आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत की गई थी जो माननीय विचारण न्यायालय द्वारा जरिये प्रकरण संख्या 03/2013 निर्णय दिनांक 18.11.2013 को स्वीकार की गई तथा उक्त निर्णय में पारित प्रतिप्रेषण बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में विपक्षी/आवंटी के विरूद्ध संचालित फौजदारी प्रकरण संख्या 168/2012 दिनांक 12.04.2014 को निर्णित हो अभियोजन समाप्त किया जा चुका था जिसके आधार पर विपक्षी/आवंटी के आवेदन पर उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी द्वारा जारी आदेश दिनांक 10.06.2014 उचित होने से विपक्षी/आवंटी के पक्ष में निष्पादित नामान्तरकरण संख्या 593 दिनांक 07.07.2014 से विपक्षी/आवंटी को गैर खातेदारी दर्ज किया जाना उचित एवं विधि संगत रहा है।

साथ ही निवेदन किया कि प्रस्तुत " रेफरेन्स" कार्यवाही नामान्तरकरण प्रकिया कार्यवाही पर लागु नहीं होता है, क्योंकि प्रार्थी के पास विविधि अपील प्राधिकार उपलब्ध है अर्थात् विवादित आदेश दिनांक 10.06.2014 एवं नामान्तरकरण संख्या 553 दिनांक 07.07.2014 के विरूद्ध अपील प्रावधान उपलब्ध होते हुए भी जबरन " रेफरेन्स" कार्यवाही अन्तिम प्रावधान होने के बावजुद प्रस्तावित किया जाना अनुचित रहा है जो स्वतः अस्वीकार योग्य है।

साथ ही निवेदन किया कि जिस तहसीलदार छोटीसादडी द्वारा विपक्षी/आवंटी के पक्ष में नामान्तरकरण्ण स्वीकृत किया उसी के द्वारा अपने आदेश को विधि विरूद्ध बताते हुए " रेफरेन्स" प्रस्तुत किया जाना विबंधन नियम **(Principal of estopple)** के विरूद्ध है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेफरेन्स मेमों में चाही गई दादरसी नामान्तरकण कार्यवाही को शुन्य **(Void)** करार घोषित कराना धारा 82 के तहत तर्क संगत नहीं है तथा प्रश्नगत प्रकरण में वर्णित निर्णय दिनांक 18.11.2013 के विरूद्ध जब विपक्षी/आवंटी द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ़ के समक्ष अपील निगरानी प्रकरण संख्या 24/2014 विचाराधीन हो उक्त प्रकरण जरिये प्रकरण संख्या 23/2020 के द्वारा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त न्यायालय उदयपुर के क्षैत्राधिकार/श्रवणाधिकार में विचाराधीन है ऐसी स्थिति में विवाद्यक विषय वस्तु के लिए पृथक से "रेफरेन्स" कार्यवाही स्वीकृत किया जाना न्याय एवं नियमों के विपरीत होने से अस्वीकार योग्य है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारीज फरमावें।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड दस्तावेज कमशः प्रस्तुत "रेफरेन्स" प्रार्थना पत्र मेमों दिनांक 08.10.2015, जवाब विपक्षी " रेफरेन्स" दिनांक 04.03.2016, विवादित आदेश दिनांक 10.06.2016, नामान्तरकरण संख्या 593 दिनांक 07.07.2014, निर्णय प्रकरण संख्या 03/13 दिनांक 18.11.2013, निर्णय 12.04.2014, आवंटन मिशल संख्या 03/2013 दिनांक 16.01.2013, शिकायत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.03.2015, रिपोर्ट प्रतिवेदन उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी दिनांक 24.07.2015 एवं 18.08.2015, प्रा.पत्र **01R10** दिनांक 18.04.2016 जवाब प्रार्थना

जिला कलेक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

पत्र OIR10 दिनांक 16.01.2017 तथा अपील मेमों RAA प्रकरण संख्या 2 1/2014 एवं ADC नकल आदेशिकाएं प्रकरण संख्या 23/2020 के साथ–साथ प्रकरण में संलग्न अन्य दस्तावेज प्रकरण पर लागु प्रचलित विधियां एवं न्यायिक विनिश्चयों की विस्तृत गहन अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन की रोशनी में ज्ञात आया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956 में विहित प्रावधानों की मूल अवधारणा किसी भी भू–राजस्व कार्यवाही अन्तर्गत राजस्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनी क्षैत्राधिकारिता के भीतर अधिनस्थ प्राधिकारी की हैसियत से जारी कोई विधि विरूद्ध आदेश, व्यादेश निर्देश या अन्य कोई प्रशासनिक कार्यवाही वैधानिक दृष्टि से युक्ति–युक्त नहीं पाई जाने की स्थिति में उक्त आदेश कार्यवाही प्रतिफल सहीत जिसमें " नामान्तरकरण" भी शामील है को " Void " शुन्य करार घोषित कराने हेतु सिफारिश प्रस्तावित की जा सकती है। इस संबंध में धारा 82 (26) के अनुसार विवादित नामान्तरकरण के लिए रेफरेन्स पुष्टि होने पर मियाद बाधित नहीं हो रेफरेन्स प्रावधान उपलब्ध रहते है (राज्य बनाम गंगाराम, 1978 RRD 1) और ऐसी सिफारिश के आधार पर सक्षम स्तर (माननीय राजस्व मण्डल) से उक्त विवादित आदेश, व्यादेश या प्रतिफल को शुन्य करार घोषित किया जा सकता है।

प्रकरण में विपक्षी/आवेदक आवंटी के पक्ष में जरिये प्रकरण आवंटन मिशल संख्या 03/2013 की आवंटन कार्यवाही वक्त सलाहकार समिति के सक्षम संज्ञान में लाए गए तथ्यों के आधार पर उसी दिवस 16.01.2013 को सक्षम प्राधिकारी आवंटन अधिकारी द्वारा निरस्त किया जाना तथा उक्त क्रम में प्रस्तुत अपील प्रकरण संख्या 03/2013 को सहशर्त आंशिक स्वीकार निर्णित दिनांक 18.11.2013 को किया जाना तथा अपील निर्णय दिनांक 18.11.2013 की मूलभूत शर्त अनुसार विपक्षी/आवंटी आवेदक के विरूद्ध संचालित फौजदारी प्रकरण संख्या 168/2012 न्यायालय ACJM छोटीसादडी निर्णय दिनांक 12.04.2014 अनुसार संदोष लोक अदालत भावना से परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(1) एवं 5 के तहत जूर्म स्वीकार किये जाने की स्थिति में उचित दण्डादेश सहित अभियोजन समाप्ति उपरान्त विपक्षी/आवंटी आवेदक द्वारा अपने पक्ष में आंशिक स्वीकृत अपील निर्णित प्रकरण संख्यश 03/2013 निर्णय दिनांक 18.11.2013 के विरूद्ध असन्तुष्टी से अपील निगरानी सक्षम स्तर RAA के समक्ष विचाराधीन रखते हुए भी तत्कालिन उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी के सक्षम निर्णय दिनांक 18.11.2013 एवं 12.04.2014 के अध्याधीन अनुचित लाभ प्राप्त करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी से अवैधानिक प्रकियाओं के अधीन जारी विवादित आदेश दिनांक 10.06.2014 के आधार पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 553 दिनांक 07.07.2014 से विवादित प्रकरण में गैर खातेदारी प्राप्त किया जाना असंवैधानिक है। क्योंकि प्रश्नगत प्रकरण में उपलब्ध रिकार्ड दस्तावेज अनुसार प्रार्थी/विपक्षी आवंटी द्वारा आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि बिलानाम राजकीय आराजी संख्या 700 रकबा 0.95 है. में से 0.43 है. रकबे पर खडे हरे वृक्षों किता 84 को बिना किसी स्व तत्व अधिकार से हटाया गया जिसके आधार पर विपक्षी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 447, 423 IPC के तहत दर्ज FIR संख्या 120/11 दिनांक 11.06.2012 के अनुक्रम में दर्ज अभियोजन प्रकरण संख्या 168/2012 माननीय न्यायालय ACJM छोटीसादडी अन्तर्गत दोष सिद्ध पाया जाना विपक्षी/आवंटी आवेदक के दुष्प्रेरण को प्रदर्शित करता है अर्थात् विपक्षी/आवंटी द्वारा जबरन आराजी संख्या 700 पर अवैधानिक कब्जा स्थापित करने की नियत से उक्त भूमि पर अवस्थित 84 वृक्षों की अवैध कटाई की गई तथा उक्त भूमि को "प्रशासन गांवों के संग अभियान–2013" में आवंटन से प्राप्त करने की नियत से आवेदन किया जाकर गैर–खातेदारी और फिर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की सुनियोजित चैष्टा रखता था इसलिये विपक्षी/आवंटी द्वारा प्रकियात्मक त्रुटियों का लाभ उठाते हुए उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी से विवादित आदेश दिनांक 10.06.2014 के आधार पर जरिये

जिला कलक्टर

Scanned with CamScanner

नामान्तरकरण संख्या 593 दिनांक 07.07.2014 से गैर खातेदारी प्राप्त करना प्रदर्शित होता है। क्योंकि उक्त कार्यवाही का कोई रिकार्ड भी उपलब्ध नहीं।

उपरोक्त प्रकम की त्रुटियों विधिक अनियमितताओं का स्पष्टीकरण उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन दिनांक 24.07.2015 एवं 18.08.2015 तथा उपरोक्त विविध प्रकम में विविध विधिक आदेशों के " Vold " शुन्य करार घोषित कराया जाना दर्शित रिकार्ड है। जिसके आधार पर रेफरेन्स प्रार्थना पत्र वास्ते सिफारिश स्वीकृत योग्य है।

धारा 82 (34) के अनुसार नामान्तरकरण का आदेश यदि कानून के प्रावधान के विपरीत दिया गया है तो धारा 82 के अन्तर्गत दिये गये रेफरेन्स पर ऐसा आदेश निरस्त योग्य है। धारा 82(44) रेफरेन्स की शक्तियां विवेकाधीन (Discretionary) शक्तियां है।(स्टेट बनाम शंकर भाई 1980 RRD 121 NUC) धारा 82(47) रेफरेन्स बहुत सी गलतियां संज्ञान में आती है। (स्टेट बनाम मोती 1980 RRD 656) धारा 82 (51) इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी आदेश या कार्यवाही के खिलाफ रेफरेन्स किया जा सकता है चाहे मामला न्यायिक हो या अन्यायिक (प्रशासनिक) हो। (भैरू बनाम स्टेट 1980 RRD 657) प्रकरण में विवादित नामान्तरकरण एक न्यायिक प्रकिया रही है। धारा 82 (62) एवं 63 के अनुसार प्रारम्भ से शुन्य करार योग्य नामान्तरकरण रेफरेन्स योग्य (राज्य बनाम कन्हैयालाल 1983 RRD 466)

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी "रेफरेन्स" स्वीकार किया जाकर रेफरेन्सकर्ता तहसीलदार छोटीसादडी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में वर्णित विवादित विधि विरूद्ध आदेश एवं नामान्तरकरण कार्यवाही के " Vold " शुन्य करार घोषित कराने हेतु उपरोक्त वर्णित दस्तावेज साक्ष्यों सहित विधिवत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे समक्ष रेफरेन्स सिफारिश स्वीकृत आदेश सहित प्रस्तुत किया जावे पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 26.03.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया जाकर लेखबद्ध कराया गया।

(अनुपमा जोरवाल)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

Scanned with CamScanner